

of the capacity has been kept un-allocated to be released to the States on the basis of periodic assessment of needs. The remaining quantum of power has been firmly allocated to the States in the region keeping in view the Central assistance given to the State and its energy consumption.

On this basis, out of 2000 MW of ultimate capacity to be installed at Singrauli, U.P. has been allocated 850 MW Korba Project will be implemented in two stages. Of the first stage of 1000 MW Madhya Pradesh has been allotted 290 MW. When the subsequent stage of 1700 MW is taken up a similar further allocation for Madhya Pradesh would be made. There has been no discrimination of any kind against Madhya Pradesh and the same criteria for allocation of power has been used in both cases.

Appointment of Officers from Madhya Pradesh in Territorial Army

3029 SHRI NIHAR LASKAR Will the Minister of DEFENCE be pleased to state

(a) the number of Labour and Employment officers from Madhya Pradesh called out for service in the Territorial Army since 1980, and

(b) the details about their protection in the service such as confirmation and promotion, increments in service, fixation of their salary on reversion to civil service?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) (a) One

(b) Section 7-A of the Territorial Army Act, 1948, provides for protection in this respect for the civilian employees who serve in the Territorial Army

दूरदर्शन में सभी राज्यों के व्यक्तियों की नियुक्ति

3030. श्री हयाराम शाय्य : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के अंशान्देशक द्वारा नियुक्तियों के मामले में

फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट, मद्रास के स्नातकों को प्राथमिकता दिये जाने से हिन्दी भाषी व्यक्तियों तथा उत्तरी भारत के लोगों की नियुक्ति नहीं हो पायेगी क्योंकि उन राज्यों में कोई फिल्म प्रमाणक केन्द्र नहीं है, और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगी कि दूरदर्शन विभाग में सभी राज्यों के व्यक्तियों की नियुक्ति हो?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जगजिवन शय्य शंकर) : (क) और (ख) दूरदर्शन में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में हम बात का विचार किये बिना कि वे किस राज्य से सम्बद्ध हैं विचार किया जाता है। तथापि कैमरामैन, फिल्म सम्पादक तथा साउण्ड रिकार्डिस्ट की नियुक्ति में भारतीय फिल्म और टेलीविजन मस्थान, पुणे तथा फिल्म और टेलीविजन टेक्नोलॉजी संस्थान, मद्रास से डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों का प्राथमिकता दी जाती है, इन संस्थानों में हिन्दी भाषी व्यक्तियों तथा उत्तर भारतीयों सहित सभी व्यक्ति दाखिला ले सकते हैं।

दूरदर्शन में कैमरामैनों की नियुक्ति

3034 श्री हयाराम शाय्य : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनवरी, 1970 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन में कितने कैमरामैन नियुक्त किये गये, और

(ख) क्या सरकार उत्तरी भारत में फिल्म इन्स्टीट्यूट खुलने तक दूरदर्शन में नियुक्ति करने के सम्बन्ध में अनुभव की व्यक्तियों को प्राथमिकता देगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जगजिवन शय्य शंकर) (क) जनवरी, 1970 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान